पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1649
दिनांक-11.09.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-मोहनलालगंज

- **थाना मोहनलालगंज पुलिस द्वारा केबिल चोरी करने वाला 03 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से 02 बण्डल केबल काला रंग व 01 आटो बरामद किया गया ।**

01-कार्यवाही विवरण:-

श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ श्री तरूण गाबा व संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री मोहम्मद मुश्ताक के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार व सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलाललगंज श्री राजेश कुमार सिंह के मार्गदर्शन में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना मोहनलालगंज श्री राम बाबू सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा केबिल चोरी करने वाले 03 अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया।

02-संक्षिप्त विवरण:-

दिनाँक-10.09.2026 को अज्ञात चोरों द्वारा रायबरेली लखनऊ मार्ग के पास हरि रेस्टोरेन्ट के पास से लगभग 50.60 मीटर केबल काट कर चोरी कर लेने के सम्बन्ध में वादी श्री सत्य प्रकाश पुत्र राम सागर निवासी तरसावाँ थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया । प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मोहनलालगंज पर मु0अ0सं0-340/2026 धारा 303(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया ।

अभियुक्त की गरिफ्तारी एवं बरामदगी हेतु पुलिस उपायुक्त दक्षिणी द्वारा 02 पुलिस टीम का गठन किया गया । गठित पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज, टैक्निकल एवं मैनुअल साक्ष्यों व स्थानी सूचना तंत्र के माध्यम से अभियुक्त 1. मुकेश, 2. अंकित वर्मा, 3. गौरव श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

03-पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडी:-

अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि साहब, हम सभी आपस में मित्र हैं तथा नशे के आदी हैं। अपनी नशे की लत पूरी करने के लिए हम लोग मिलकर चोरी करते हैं। जो भी कीमती सामान दिखाई देता है, उसे मौका पाकर चोरी कर लेते हैं तथा चोरी किए गए सामान को अंकित के ऑटो में रखकर ले जाते हैं और बेचकर जो पैसे मिलते है,उनको आपस में बांट लेते हैं। दिनांक 08/09.09.2026 की रात्रि में हम लोगों ने हरि रेस्टोरेन्ट के पास रायबरेली-लखनऊ रोड से अंडरग्राउंड केबल चोरी की थी, जिसे थोड़ी दूरी पर झाड़ियों में छिपा दिया था। आज हम लोग उन्हीं केबल को बेचने के लिए ले जाने वाले थे, तभी पुलिस टीम ने हमें पकड़ लिया। साहब, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए ।

04-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1. मुकेश पुत्र भीखा निवासी चमयानी सिंहपुर थाना पुरवा जनपद उन्नाव उम्र करीब 36 वर्ष।
2. अंकित वर्मा पुत्र स्व0 माताप्रसाद निवासी स्नेहलनगर थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ उम्र करीब 24 वर्ष।
3. गौरव श्रीवास्तव पुत्र स्व0 सोनू श्रीवास्तव निवासी किराये का मकान चिल्लावा थाना सरोजनीनगर जनपद लखनऊ मूल पता मुंशीखेड़ा ट्रान्सपोर्ट नगर चन्दन नगर थाना सरोजनीनगर लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष।

05-आपराधिक इतिहासः-

- ***मुकेश के विरुद्ध कुल-03 अभियोग पंजीकृत हैं-***

1. मु0अ0सं0-340/2026 धारा 303(2)/317(2) बी0एन0एस0 थाना मोहनलालगंज लखनऊ।
2. मु0अ0सं0-239/2021 धारा 380/411/457 भादवि थाना कृष्णानगर लखनऊ।
3. मु0अ0सं0-240/2021 धारा 380/411 भादवि थाना कृष्णानगर लखनऊ लखनऊ।

06-अनावरित अभियोग का विवरणः-

01-मु0अ0सं0- 340/2026 धारा 303(2)/317(2) बी0एन0एस0 थाना मोहनलालगंज लखनऊ।

07-बरामदगीः-

- 2 बण्डल केबिल काला रंग
- 01 अदद आटो बरामद।

08-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- थाना मोहनलालगंज पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1652
दिनांक-11.09.2026

जोन- मध्य/ थाना-महानगर

- **चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **थाना महानगर पुलिस टीम की सफलता।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.09.2026 को वादी श्री पुष्पेन्द्र वीर सिंह पुत्र लाल साहब सिंह निवासी खलीफा यादव के किराये का मकान मोहल्ला चाँदन इन्दिरानगर थाना इन्दिरानगर लखनऊ द्वारा प्रस्तुत तहरीर अभियुक्त द्वारा वादी का वाहन सं0- यूपी 32 एचएन 0236 टैम्पो को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 176/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया।

घटना के शीघ्र अनावरण हेतु गठित पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए सीसीटीवी फुटेज , तकनीकी साक्ष्यों एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त जितेन्द्र यादव पुत्र राम प्रकाश निवासी ग्राम- अनौरा खुर्द थाना बी0बी0डी0 लखनऊ उम्र करीब 28 वर्ष को दिनांक 10.09.2026 को समय 21.25 बजे, अकबर नगर बंधा तिराहा थाना क्षेत्र महानगर से हिरासत पुलिस में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी किया गया टैम्पो सं0 UP 32 HN 0236 बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है तथा मुकदमा उपरोक्त में बरामदगी होने पर धारा 317(2) की बढ़ोत्तरी की गयी।

02-पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडी-

गिरफ्तार शुदा अभियुक्त द्वारा टैम्पो को कैंची से स्टार्ट करके मौका पाकर टैम्पो का तार जोड़ कर स्टार्ट कर टैम्पो को चोरी करके वहां से चलाते हुए ले जाया गया था। अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01.जितेन्द्र यादव पुत्र राम प्रकाश निवासी ग्राम- अनौरा खुर्द थाना बी0बी0डी0 लखनऊ उम्र करीब 28 वर्ष

04-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 176/2026 धारा 303(2)/ 317(2) बीएनएस थाना महानगर लखनऊ

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 राम मूरत पटेल थाना महानगर, कमिश्नरेट लखनऊ।
- उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद थाना महानगर, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1653

दिनांक-11.09.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-कृष्णानगर

- **थाना कृष्णानगर पुलिस द्वारा मात्र 05 घण्टे में गुमशुदा 06 वर्षीय बालिका को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया।**

01- संक्षिप्त विवरणः-

आज दिनांक-11.09.2026 को समय करीब 11:00 बजे वादिनी, निवासी आजाद नगर, थाना कृष्णानगर, लखनऊ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गयी कि उनकी 06 वर्षीय पुत्री आज प्रातः करीब **09:00** बजे खेलते समय घर से कहीं चली गयी है**,** जिसकी काफी तलाश करने के उपरान्त भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी।

उक्त सूचना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रभारी निरीक्षक कृष्णानगर के निर्देशन में **चौ**की प्रभारी आजादनगर उ0नि0 गौरव कुमार सिंह मय हमराह का0 छविनाथ सिंह द्वारा तत्काल गुमशुदा बालिका की तलाश हेतु गीतापल्ली, आजाद नगर, पकरी पुलिया एवं आसपास के क्षेत्रों में सघन तलाश एवं पूछताछ की गयी। पुलिस टीम द्वारा बालिका का फोटो एवं हुलिया विभिन्न पुलिस/मीडिया सोशल मीडिया ग्रुपों में प्रसारित कर जनसहयोग से तलाश का प्रयास किया गया। इसी क्रम में मीडिया ग्रुप के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि खजाना चौराहा क्षेत्र में पीले रंग का टॉप पहने हुए एक बच्ची मिली है**,** जिसके संबंध में पुलिस टीम द्वारा तत्काल आशियाना क्षेत्र में पहुंचकर तलाश एवं सत्यापन किया गया। पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा बालिका उम्र 06 वर्ष को सकुशल बरामद कर लिया गया। आवश्यक सत्यापन एवं नियमानुसार कार्यवाही के उपरान्त वादिनी को सुपुर्द किया गया।

गुमशुदा बालिका की मात्र 05 घण्टे के अल्प समय में सकुशल बरामदगी पर बालिका के परिजनों द्वारा थाना कृष्णानगर पुलिस की त्वरित कार्यवाही एवं बालिका की तलाश में सहयोग प्रदान करने वाले समस्त मीडिया बन्धुओं के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

02- बरामद बच्ची का विवरणः-

1. नाबालिग लड़की उम्र 06 वर्ष निवासनी आजाद नगर थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ।

03-बरामद करने वाली पुलिस टीमः-

- प्रभारी निरीक्षक श्री प्रद्युम्न कुमार सिंह, थाना कृष्णानगर,लखनऊ।
- उ0नि0 श्री गौरव सिंह, थाना कृष्णानगर, लखनऊ।
- का0-छविनाथ सिंह, थाना कृष्णानगर, लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1654
दिनांक-11.09.2026

जोन- पूर्वी/ थाना-गाजीपुर

- **थाना गाजीपुर पुलिस एवं क्राइम टीम पूर्वी जोन द्वारा बंद मकानों में चोरी करने वाले गिरोह का किया गया पर्दाफाश, 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से ₹2,11,800 नगद व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।**
- **गाजीपुर एवं इन्दिरानगर थाना क्षेत्र की चोरी की घटनाओं का हुआ खुलासा।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक **31.07.2026** को वादी जय श्रीवास्तव पुत्र स्व0 योगेन्द्र लाल श्रीवास्तव, निवासी 11/831, इन्दिरानगर, लखनऊ द्वारा सूचना दी गई कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके घर का दरवाजा तोड़कर घर में रखी नकदी एवं सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर लिए गए हैं। उक्त सूचना के आधार पर थाना गाजीपुर पर **मु0अ0सं0 269/2026, धारा 305(A)/331(4) BNS** बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

इसी क्रम में दिनांक **06.08.2026** को वादिनी श्रीमती रजनी शर्मा, निवासी 5, दवती विहार, सेक्टर-14, इन्दिरानगर, लखनऊ द्वारा प्रार्थना-पत्र देकर बताया गया कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके आवास की अलमारी का ताला तोड़कर नकदी, कपड़े, महत्वपूर्ण दस्तावेज, नामांकन प्रमाण-पत्र, रसीदें एवं अन्य आवश्यक कागजात चोरी कर लिए गए हैं। उक्त प्रकरण में थाना गाजीपुर पर **मु0अ0सं0 273/2026, धारा 305(A) BNS** बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

थाना गाजीपुर क्षेत्र में बंद मकानों में चोरी की घटनाओं के अनावरण हेतु थाना गाजीपुर पुलिस एवं क्राइम टीम पूर्वी जोन द्वारा तकनीकी एवं मानवीय सूचना तंत्र के माध्यम से अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी।

इसी क्रम में आज दिनांक **11.09.2026** को थाना गाजीपुर पुलिस एवं क्राइम टीम पूर्वी जोन की टीम मुकदमों से संबंधित अभियुक्तों एवं माल की तलाश में **मुंशीपुलिया क्षेत्र** में भ्रमणशील थी। इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उक्त घटनाओं में शामिल दो व्यक्ति **सेक्टर-17, कुकरैल जंगल गेट के पास मोटरसाइकिल से अपने साथियों का इंतजार कर रहे हैं तथा भागने की फिराक में हैं।**

सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल घेराबंदी कर दोनों संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में दोनों ने अपना नाम **1. श्याम सुन्दर उर्फ गोलू पुत्र राधेश्याम, उम्र 24 वर्ष** तथा **2. मो0 शमीम पुत्र स्व0 मुशीर अहमद, उम्र 36 वर्ष** बताया। अभियुक्तों की जामा तलाशी से **₹2,11,800/- नगद** बरामद हुए।

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा अलग-अलग दिनों में बंद मकानों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देना तथा चोरी किए गए सामान को बेचकर प्राप्त धनराशि में से उक्त धनराशि का होना बताया गया। पूछताछ के दौरान यह भी प्रकाश में आया कि अभियुक्तों के विरुद्ध **मु0अ0सं0 197/2026, धारा 305(A)/331(4)/317(2) BNS, थाना इन्दिरानगर, लखनऊ** में भी चोरी का अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्तगण द्वारा मोटरसाइकिल से बंद मकानों की रेकी की जाती थी तथा मकान बंद एवं सुनसान पाए जाने पर चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता था। बरामद मोटरसाइकिल **UP32 KT 3978 (Super Splendor)** के संबंध में वैध अभिलेख प्रस्तुत न कर पाने पर वाहन को **धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम** के अंतर्गत सीज किया गया है।

अभियुक्तगण के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा इनके आपराधिक इतिहास के संबंध में अन्य थाना/जनपदों से जानकारी की जा रही है।

02- गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1. श्याम सुन्दर उर्फ गोलू पुत्र राधेश्याम, उम्र 24 वर्ष, मूल निवासी कठौता गांव, थाना विभूतिखण्ड, लखनऊ, हाल पता- मकान नं0 636G/328, मटियारी रोड, सेक्टर-11, तकरोही, निकट बबलू लोधी चौक, थाना इन्दिरानगर, लखनऊ।
2. मो0 शमीम पुत्र स्व0 मुशीर अहमद, उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम चन्नापुर महादेवा, थाना रामनगर, जनपद बाराबंकी, हाल पता- करामत मार्केट, निशातगंज, थाना महानगर, लखनऊ।

03- बरामदगीः-

- **₹2,11,800/- नगद।**
- **01 अदद मोटरसाइकिल Super Splendor, लाल-काला रंग, वाहन संख्या UP32 KT 3978**, जिसे धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सीज किया गया।

03- अभियुक्त श्याम सुन्दर उर्फ गोलू का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 269/2026 धारा 305(A)/331(4)/317(2) BNS, थाना गाजीपुर, लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 273/2026 धारा 305(A) BNS, थाना गाजीपुर, लखनऊ।
3. मु0अ0सं0 197/2026 धारा 305(A)/331(4)/317(2) BNS, थाना इन्दिरानगर, लखनऊ।
4. मु0अ0सं0 36/2022 धारा 380/411/457 भादवि, थाना अलीगंज, लखनऊ।
5. मु0अ0सं0 127/2025 धारा 305(A)/317(2)/331(4) BNS, थाना कैन्ट, लखनऊ।
6. मु0अ0सं0 134/2025 धारा 305(A)/317(2)/331(4) BNS, थाना कैन्ट, लखनऊ।
7. मु0अ0सं0 110/2025 धारा 305(A)/317(2)/317(4)/331(4) BNS, थाना चिनहट, लखनऊ।
8. मु0अ0सं0 29/2022 धारा 380/411/457 भादवि, थाना इन्दिरानगर, लखनऊ।
9. मु0अ0सं0 408/2023 धारा 380/411/457 भादवि, थाना इन्दिरानगर, लखनऊ।
10. मु0अ0सं0 419/2023 धारा 380/411/457 भादवि, थाना इन्दिरानगर, लखनऊ।
11. मु0अ0सं0 570/2021 धारा 380/411/457 भादवि, थाना गाजीपुर, लखनऊ।
12. मु0अ0सं0 85/2022 धारा 380/411/454 भादवि, थाना गाजीपुर, लखनऊ।
13. मु0अ0सं0 491/2026 धारा 3(5)/305(A)/317(2)/317(4)/331(4) BNS, थाना ठाकुरगंज, लखनऊ।
14. मु0अ0सं0 194/2025 धारा 305/331(4) BNS, थाना विभूतिखण्ड, लखनऊ।
15. मु0अ0सं0 27/2026 धारा 305/331(4) BNS, थाना विभूतिखण्ड, लखनऊ।
16. मु0अ0सं0 28/2026 धारा 305/331(4) BNS, थाना विभूतिखण्ड, लखनऊ।
17. मु0अ0सं0 37/2026 धारा 305/331(4) BNS, थाना विभूतिखण्ड, लखनऊ।

05- अभियुक्त मो0 शमीम का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 269/2026 धारा 305(A)/331(4)/317(2) BNS, थाना गाजीपुर, लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 273/2026 धारा 305(A) BNS, थाना गाजीपुर, लखनऊ।
3. मु0अ0सं0 197/2026 धारा 305(A)/331(4)/317(2) BNS, थाना इन्दिरानगर, लखनऊ।
4. मु0अ0सं0 305/2020 धारा 380/411 भादवि, थाना अलीगंज, लखनऊ।
5. मु0अ0सं0 350/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना चिनहट, लखनऊ।
6. मु0अ0सं0 110/2025 धारा 305(A)/317(2)/317(4)/331(4) BNS, थाना चिनहट, लखनऊ।
7. मु0अ0सं0 188/2025 धारा 305(D)/317(2)/331(4) BNS, थाना महानगर, लखनऊ।

06- अनावरित अभियोगों का विवरण-

1. मु0अ0सं0 269/2026 धारा 305(A)/331(4)/317(2) BNS, थाना गाजीपुर, लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 273/2026 धारा 305(A) BNS, थाना गाजीपुर, लखनऊ।
3. मु0अ0सं0 197/2026 धारा 305(A)/331(4)/317(2) BNS, थाना इन्दिरानगर, लखनऊ।

07- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना गाजीपुर पुलिस टीम

1. उ0नि0 श्री अभिषेक पाण्डेय।
2. उ0नि0 श्री धनपाल।
3. हे0का0 बालकुश।
4. हे0का0 अशोक यादव।
5. का0 रविन्द्र सिंह।
6. का0 भुवन विक्रम।

क्राइम टीम पूर्वी जोन

1. उ0नि0 श्री अमरनाथ चौरसिया।
2. मु0आ0 संदीप पाण्डेय।
3. आ0 तरनजीत सिंह।
4. आ0 प्रदीप कुमार।
5. आ0 शिवानन्द खरवार।
6. आ0 अजय यादव।
7. आ0 राघवेन्द्र सिंह।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1651

दिनांक- 11.09.2026

जोन-पश्चिमी/थाना-काकोरी

- **काकोरी पुलिस टीम द्वारा मारपीट कर जबरन वसूली करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तो के कब्जे से 02 अदद स्मार्ट फोन व 01 अदद घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 25.07.2026 को वादी श्री मुदित यादव पुत्र शिव प्रकाश यादव निवासी ग्राम निजामपुर मल्लोर गोमतीनगर लखनऊ के साथ अभियुक्त द्वारा मारपीट कर जबरन 14,000/- रूपये क्यूआर कोड़ के माध्यम से व 2 मोबाइल फोन ले लेने के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 242/2026 धारा 308(5)/115(2) बी0एन0एस0 बनाम जीशान व एक अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना के अनावरण हेतु थाना स्थानीय से पुलिस टीम एवं पश्चिमी जोन की सर्विलांस टीम का गठन किया गया। थाना काकोरी व सर्विलांस टीम पश्चिमी जोन की संयुक्त टीम द्वारा क्यू0आर0 कोड के माध्यम से डिटेल प्राप्त कर अभियुक्तों की लोकेशन ट्रेस कर अभियुक्तों को दिनांक 10.09.2026 को बबुरियाखेड़ा अण्डर पास होकर खुशहालगंज की तरफ जाने वाली सर्विस रोड तिराहे से अभियुक्तगण 01-जीशान पुत्र अनीस मूल निवासी कल्याणपुर थाना सण्डीला जनपद हरदोई हाल पता- खुशहालगंज सतीश चन्द्र मिश्रा फार्म के पास थाना पारा लखनऊ उम्र लगभग 23 वर्ष 02-सहवान उर्फ शाबान पुत्र नवी हुसैन मूल निवासी ग्राम अटौरा थाना आसीवन जिला उन्नाव हाल पता- काकोरी मोड़ मेडो हास्पिटल के पीछे थाना पारा लखनऊ उम्र लगभग 21 वर्ष को कारण गिरफ्तारी व आधार से अवगत कराते हुए दिनांक 10.09.2026 समय समय 22.40 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्तगण से 02 अदद स्मार्ट फोन VIVO T PRO5G व SAMSUNG M12 व 01 अदद घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल हीरो स्प्लेण्डर प्रो रजिस्ट्रेशन नं0 UP32GE2058 को कब्जा पुलिस में लिया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

01-जीशान पुत्र अनीस मूल निवासी कल्याणपुर थाना सण्डीला जनपद हरदोई हाल पता- खुशहालगंज सतीश चन्द्र मिश्रा फार्म के पास थाना पारा लखनऊ उम्र लगभग 23 वर्ष

02-सहवान उर्फ शाबान पुत्र नवी हुसैन मूल निवासी ग्राम अटौरा थाना आसीवन जनपद उन्नाव हाल पता- काकोरी मोड़ मेडो हास्पिटल के पीछे थाना पारा लखनऊ उम्र लगभग 21 वर्ष

03-अभियुक्त जीशान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास का विवरण-

1. मु0अ0सं0 789/2025 धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना पारा लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 82/2025 धारा 303(2)/317(2)/61(2) बीएनएस थाना ठाकुरगंज लखनऊ।

04-बरामदगी का विवरण

- 02 अदद स्मार्ट फोन VIVO T PRO5G व SAMSUNG M12
- 01 अदद घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल हीरो स्प्लेण्डर प्रो रजिस्ट्रेशन नं0 UP32GE2058

05-पंजीकृत अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0सं0 242/2026 धारा 308(5)/115(2) बी0एन0एस0 थाना काकोरी लखनऊ

06-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

काकोरी पुलिस टीम का विवरण-

1.प्र0नि0 श्री सतीश चन्द्र राठौर
2.उ0नि0 श्री छत्रजीत सिंह
3.उ0नि0 श्री अभिमन्यु सिंह
4.उ0नि0 श्री दयानन्द तिवारी
5.का0 विवेक कुमार

सर्विलांश टीम (पश्चिमी) जोन कमि0 लखनऊ-

1.उ0नि0 श्री अंकित कुमार (टीम प्रभारी)
2.हे0का0 वीर सिंह
3.हे0का0 प्रदीप कुमार तिवारी
4.का0 विभोर कुमार
5.का0 आशीष कुमार कुशवाहा